मिसल नम्बर 96 / 2019
निर्णय दिनांक 27–09–2019

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– कृष्ण सिंह (RTS)
मिसल नम्बर :– **96 / 2019**

सरकार

बनाम

श्रीमती सजना देवी पत्नि श्री सागरमल जाति गूर्जर निवासी ढ़ाणी भीमकावाली तन् काकंरिया तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0

...................गैर सायल

(अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट–1956)

दिनांक :– **27–09–2019**

–: <u>निर्णय</u> :–

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर गैर सायल की ओर से उसके अधिवक्ता श्री शिवचरण सिंह हाजिर अदालत आये। आगे पत्रावली का अवलोकन किया तो जाहिर हुआ है कि पटवारी हल्का काकंरिया के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई है कि राजस्व ग्राम **काकंरिया** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1750 / 767 रकबा 3.52 हेक्टेयर किस्म बंजड़–2 के रकबा 0.45 हेक्टेयर पर गैर सायल श्रीमती सजना देवी पत्नि श्री सागरमल जाति गूर्जर निवासी ढ़ाणी भीमकावाली तन् काकंरिया तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0 ने रकबा 0.20 हेक्टेयर में फसल बाजरा व 0.25 हेक्टेयर में बाड़ व खाई लगाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है जिसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावे।

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के गैर सायल के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी के नाम सबूत एवं सुनवाई हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। न्यायालय हाजा से जारी नोटिस की ताईद में गैर सायल ने जरिये अधिवक्ता श्री शिवचरण सिंह के जबाब नोटिस इस आशय का पेश किया कि प्रश्नगत भूमि पर मैं काबिज काश्त हूँ तथा 30 वर्षो से उक्त भूमि पर मेरा कब्जा है व काश्त करती आ रही हूँ तथा इससे पूर्व में मेरे पति व मेरे ससुर उक्त भूमि पर कब्जा काश्त करते आ रहे है।

अतः जबाब नोटिस पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया के विरूद्ध चल रही धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही को ड्राप की जाकर प्रार्थीया के हक में नियमन की सिफारिश किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

तहसीलदार खेतड़ी
जिला झुन्झुनू (राज.)

तहसीलदार खेतड़ी, जिला झुंझुनूं (राज.) सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner

मिसल नम्बर 96/2019
निर्णय दिनांक 27-09-2019

बहस अधिवक्ता गैर सायल सुनी गई। अधिवक्ता गैर सायल ने जवाब नोटिस के बिन्दुओं को दौहराते हुये बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थीया प्रश्नगत भूमि पर 30 वर्षो से काबिज काश्त है। इससे पूर्व इसके पति व ससुर भी काबिज काश्त रहे है। बहस के अन्त में अधिवक्ता गैर सायल ने प्रश्नगत भूमि की गैर सायल के पक्ष में नियमन की सिफारिश किये जाने का निवेदन किया।

गैर सायल ने प्रश्नगत राजकीय भूमि पर किये गये अनाधिकृत अतिक्रमण की बाबत पुराना कब्जा होने की ताईद में कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात्, जवाब नोटिस धारा 91 व पटवारी हल्का **काकंरिया** की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि गैर सायल श्रीमती सजना देवी पत्नि श्री सागरमल जाति गूर्जर निवासी ढ़ाणी भीमकावाली तन् काकंरिया तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0 ने राजस्व ग्राम **काकंरिया** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1750/767 रकबा 3.52 हेक्टेयर किस्म बंजड़-2 के रकबा 0.45 हेक्टेयर पर रकबा 0.20 हेक्टेयर में फसल बाजरा व 0.25 हेक्टेयर में बाड़ व खाई लगाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। गैर सायल को राजकीय भूमि को अनाधिकृत रूप से अपने अधिभोग में लेने या रखने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। राजकीय भूमियां राजकीय प्रयोजनों के लिए सुरक्षित रखी गई है। अतः पटवारी हल्का काकंरिया की रिपोर्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

-: आदेश :-

अतः प्रकरण में मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का काकंरिया के प्रश्नगत भूमि पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर राजस्व ग्राम **काकंरिया** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1750/767 रकबा 3.52 हेक्टेयर किस्म बंजड़-2 के रकबा 0.45 हेक्टेयर पर से **बेदखल** किया जाता है तथा गैर सायल से शरह लगान 01 रूपये का 50 गुणा = 50/- रूपये तावान कायम व वसूली का व **फसल बाजरा को राजहक में जप्त कर निलाम किये जाने का आदेश दिया जाता है।** तहसील राजस्व लेखाकार से राजस्व लेखों में मांग कायमी व पटवारी हल्का काकंरिया से तावान की वसूली करवाई जावे। गैर सायल की राजस्व ग्राम **काकंरिया** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1750/767 रकबा 3.52 हेक्टेयर किस्म बंजड़-2 के रकबा 0.45 हेक्टेयर पर से भौतिक मौका बेदखली हेतु सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का के नाम निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27-09-2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

(कृष्ण सिंह)
तहसीलदार खेतड़ी
तहसीलदार खेतड़ी
जिला झुन्झुनू (राज.)

Scanned by CamScanner